



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 16.09.22

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से पूर्व में लूटी गयी एक मोटरसाईकिल अपाचे व चोरी की एक मोटरसाईकिल पल्सर व लूटी हुई अंगूठी व एक जोड़ी कुण्डल, एक तमंचा 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा 315 बोर व एक खोखा 12 बोर व एक चाकू नाजायज बरामद।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.22 को वन विभाग के जंगल चौकी क्षेत्र लालबाग से पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश 1- वसीम पुत्र वाजुद्दीन नि० मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद 2- सुहैल पुत्र शकूर नि० बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गा०बाद 3- प्रमोद उर्फ विशाल पुत्र बृजपाल नि० बलीपुर निबाड़ी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पूर्व में लूटी गयी एक मोटरसाईकिल अपाचे नं० DL5S CM 5113 स०मु०अ०सं० 703/22 धारा 392 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद व चोरी की एक मोटरसाईकिल पल्सर नं० UP37 B 1504 स०मु०अ०सं० 640/22 धारा 379 भादवि थाना नन्दग्राम गा०बाद व लूटी हुई अंगूठी स०मु०अ०सं० 702/22 धारा 392 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद व एक जोड़ी कुण्डल स०मु०अ०सं० 1210/22 धारा 392 भादवि थाना विजयनगर गा०बाद व एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक खोखा 12 बोर व एक नाजायज चाकू बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण - पकड़े गये अभि०गणों से पूछताछ करने पर अभि०गणों द्वारा बताया गया कि साहब जो पल्सर मो०सा० हमसे वरामद हुई है ये हम सभी ने नन्दग्राम थाना क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन से करीब 03 माह पहले चोरी की थी। इस चोरी की मोटरसाईकिल से वसीम व सुहैल ने अभी कुछ दिन पहले थाना विजयनगर क्षेत्र से डीपीएस स्कूल के पास सुबह एक बुजुर्ग महिला से कुण्डल छिने थे व दिनांक 10.09.22 को हम लोगों ने लालबाग से सुबह –सुबह मोटरसाईकिल से जा रहे एक व्यक्ति से उसकी अपाचे मो०सा० एवं उसका मोबाईल व कुछ रुपये छिने थे। छिना हुआ मोबाईल हमारे साथी भरत के पास है जो अभी – अभी मौके से फरार हो गया है एवं इन मोटरसाईकिलों से हम लोग जगह-जगह से चोरी व लूट की घटनाएं करते हैं अभी दो –तीन दिन पहले हम सभी ने भगवती पैलेस इन्द्रापुरी के पास से एक व्यक्ति से सुबह-सुबह उसकी अंगूठी छिनी थी। हम लोगों से वरामद अंगूठी एवं कुण्डल उपरोक्त घटनाओं से सम्बन्धित हैं। आज हम सब लूटे गये कुण्डल तथा अंगूठी एवं लूटी व चोरी गयी मोटरसाईकिलों को बेचने के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने अपने आप को दोनों तरफ से घिरा देखकर पुलिस वालों पर फायर कर दिया था। चारों अभि०गणों में से एक बदमाश मौके से फरार हो गया जिसके बारे में पूछताछ करने पर उसका नाम भरत नि० ढिंढावली बताया गया। जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तारी हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। **पुलिस कार्यवाही में एक बदमाश वसीम उपरोक्त घायल हुआ है।** जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- वसीम पुत्र वाजुद्दीन नि० मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद (घायल)
- 2- सुहैल पुत्र शकूर नि० बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 3- प्रमोद उर्फ विशाल पुत्र बृजपाल नि० बलीपुर निबाड़ी जनपद बागपत

मौके से फरार अभि० का विवरण:

भरत नि० ढिढावली

अभि० वसीम का आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 640/22 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गा०बाद
मु०अ०सं० 702/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 1210/22 धारा 392/411 भादवि थाना विजयनगर गा०बाद
मु०अ०सं० 703/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 704/22 धारा 307(पु०मु०) भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 705/22 धारा 482 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 706/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभि० सुहैल का आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 640/22 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गा०बाद
मु०अ०सं० 702/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 1210/22 धारा 392/411 भादवि थाना विजयनगर गा०बाद
मु०अ०सं० 703/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 704/22 धारा 307(पु०मु०) भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 705/22 धारा 482 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 707/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

अभि० प्रमोद उर्फ विशाल का आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 640/22 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गा०बाद
मु०अ०सं० 702/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 703/22 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 704/22 धारा 307(पु०मु०) भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 705/22 धारा 482 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
मु०अ०सं० 708/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- थाना प्रभारी श्री योगेन्द्र सिंह पंवार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 2- उ०नि० सौरभ कुमार चौकी प्रभारी इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर
- 3- उ०नि० सचिन कुमार चौकी प्रभारी संगम विहार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 4- उ०नि० करनवीर सिंह चौकी प्रभारी गुलाब वाटिका थाना लोनी बोर्डर
- 5- उ०नि० आशीष जादौन थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 6- उ०नि० सतेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 7- है०का० 1563 अरविन्द कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।
- 8- है०का० 138 जितेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद
- 9- का० 960 योगेश कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।
- 10- का० 1617 मनोज कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।
- 11- का० 706 अजय यादव थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा लूट की फर्जी सूचना देने वाले अभि० को

151/107/116 सीआरपीसी में जेल भेजा गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस टीम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.09.2022 की रात्रि में नरेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी आरसी 677 सोमबाजार आदर्श नगर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गा०बाद उम्र करीब 38 वर्ष द्वारा अपनी मोटर साईकल व अपना बैग अज्ञात लोगो द्वारा उससे मारपीट कर छीन लिया है और वह लोग मौके से फरार हो गये हैं की सूचना डायल 112 पर दी गयी जोकि थाना कौशाम्बी पर प्राप्त होने पर उ०नि० श्री अमिताभ सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पुहंचे तो अभि० उपरोक्त नशे में शोर मचा रहा था व विपक्षी पप्पू सिंह पुत्र गोल्टू सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी बिजली घर के पास सै०-1 वैशाली गा०बाद उम्र करीब 42 वर्ष से लडाईं झगडा कर रहा था इसके द्वारा लूट की फर्जी सूचना दबाव बनाने के उद्देश्य से दी थी। जब कि नरेन्द्र उपरोक्त की मो०साईकल व उसका बैग वहीं मौके पर ही था। नरेन्द्र उपरोक्त द्वारा लूट की फर्जी सूचना देने पर नरेन्द्र उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० अमिताभ सिंह
2. हे०का० 1138 अजय शंकर
3. हे०का० 759 संजीव कुमार



थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त मय 400 ग्राम

नाजायज गांजा बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर द्वितीय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.2022 को शुक्र बाजार कट भोवापुर के पास से चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामबहादुर निवासी झुग्गी झोपड़ी शमशान घाट के पास ज्वालानगर थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र लगभग 31 वर्ष को मय 400 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

राजकुमार पुत्र रामबहादुर निवासी झुग्गी झोपड़ी शमशान घाट के पास ज्वालानगर थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र लगभग 31 वर्ष

बरामदगी -

400 ग्राम नाजायज गांजा

अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 502/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कौशाम्बी गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अमित सोनी
2. का0 2100 तृष्ण कुमार
3. रि0का0 404 नोवेन्द्र

चैकिंग के दौरान 01 अभि0 को कुल 300 ग्राम अवैध गाँजा सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0 हारुन पुत्र जर निवासी म0न0 1606 फूलगढी थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़ 300 अवैध गाँजा सहित सरकारी ट्यूबेल के पास रोहन मोटर्स के सामने ,पटेलनगर से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध का तरीका:-

अभि0 अजय ने पूछने पर बताया कि लालच में दिल्ली से गाँजा लाकर यहा लोकल में आने जाने वाले लोगो को बेचकर अपना खर्च चलाता हूँ ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

हारुन पुत्र जफर निवासी म0न0 1606 फूलगढी थाना हापुड़ देहात जिला हापुड़

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 601/22 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम हारुन थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विपिन कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 2 का01891 गौरव वन थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 3.का0 686 दुर्गेश कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 4.का0 1828 जितेन्द्र कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी-

300 ग्राम गाँजा

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 3 अदद नाजायज चाकू व 2 अदद मोवाइल चोरी के व 1 अदद स्कूटी चोरी की बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 15.09.2022 समय 20.40 बजे शनि चौक के पास थाना साहिबाबाद से 03 नफर अभियुक्त गण को मय 3 अदद नाजायज चाकू व 2 अदद मोवाइल चोरी के व 1 अदद स्कूटी चोरी की सहित गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों मिलकर चोरी करने का काम करते हैं हमने लगभग 2 माह पहले दिलशाद कालोनी से यह स्कूटी चुराई थी और तथा जो मोबाइल हमसे मिले है लगभग 3 माह पहले 2 महिलाओं से अलग-अलग जगह शनि चौक कट तथा सैक्टर 3 राजेन्द्र नगर से हमने ही चुराये थे। बरामद चाकुओ के बारे में बताया कि यह हम लोगो के डराने के लिए रखते है। जिसके संबंध में लाइसेंस तलब किया तो नहीं दिखा सके। बरामद स्कूटी के संबंध में E-FIR NO- 019139/22 दिल्ली में दर्ज है। तथा बरामद मोवाइल वीवो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 911/22 धारा 379 भादवि , एवं मोवाइल सैमसंग के सम्बन्ध में मु0अ0स0 860/22 अन्तर्गत धारा 379 भादवि दर्ज है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

- 1.सौरभ पुत्र स्व0 सुनील निवासी 296/8 फेस 9 शिव विहार दिल्ली उम्र 22 वर्ष मूल पता पुरा महादेव शराय लुहारा बागपत
- 2.सोहन पुत्र वीर सिंह निवासी 320/1 फेस 4 शिव विहार दिल्ली मूल पता बूडपुर बडौत बागपत उम्र 27 वर्ष
- 3.बोबी पुत्र स्व0 मुन्ना लाल निवासी 341/10 फेस 9 शिव विहार दिल्ली मूल पता बबागढ अतरौली अलीगढ उम्र 19 वर्ष

अभि0गण का अपराधित इतिहास

- 1.मु0अ0स0 1491/22 धारा 411/414/34 भादवि बनाम सौरभ,सोहन,बोबी उपरोक्त
2. मु0अ0स0 1492/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सौरभ
3. मु0अ0स0 1493/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोहन
4. मु0अ0स0 1494/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम बोबी
5. मु0अ0स0 911/22 धारा भादवि 379 बनाम सौरभ,सोहन,बोबी उपरोक्त
6. मु0अ0स0 860/22 अन्तर्गत धारा 379 भादवि बनाम सौरभ,सोहन,बोबी उपरोक्त
7. E-FIR NO- दिल्ली 019139/22 बनाम सौरभ,सोहन,बोबी उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 संजीव कुमार शर्मा

उ0नि0 सुमित कुमार

का0 430 बसंत कुमार

बरामदगी का विवरण

3 अदद नाजायज चाकू व 2 अदद मोवाइल वीवो, सैमसंग चोरी के व 1 अदद स्कूटी एक्टिवा न0UP14 BY 9372 चोरी की

थाना लिकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर किस्म के अभियुक्तों को अवैध 90 ग्राम नशीली गोलियों का पाऊंडर एल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 16.09.2022 को थाना लिंक

रोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभिगण 1. दीपक कुमार पुत्र नित्यानंद झा निवासी गली न0 2 झण्डापुर थाना लिंकरोड गा0बाद को 40 ग्राम नशीली गोलिया पाऊडर एल्प्राजोलम व 2. धर्मेन्द्र दुबे पुत्र सोमनाथ दुबे निवासी बेलाराम का मकान ग्राम कडकड मांडल थाना लिंकरोड गा0बाद को 50 ग्राम नशीली गोलिया पाऊडर एल्प्राजोलम के साथ फाटक साहिबाबाद की तरफ कच्चे रास्ते पर कुल 90 ग्राम नशीली गोलिया पाऊडर एल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. दीपक कुमार पुत्र नित्यानंद झा निवासी गली न0 2 झण्डापुर थाना लिंकरोड गा0बाद।
2. धर्मेन्द्र दुबे पुत्र सोमनाथ दुबे निवासी बेलाराम का मकान ग्राम कडकड मांडल थाना लिंकरोड गा0बाद

गिरफ्तारी घटनास्थल

इन्द्रप्रस्थ डेंटल कालेज के पास चौकी औद्योगिक क्षेत्र
दिनांक 16.09.2022 समय 11.10 बजे

बरामदगी का विवरण -

कुल 90 ग्राम नशीली गोलिया पाऊडर एल्प्राजोलम

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद	बनाम
1	0358/22	8/21 NDPS.ACT	लिंकरोड	गा0बाद	दीपक
2	271/21	380/411 भादवि	लिंकरोड	गा0बाद	दीपक
3	272/21	380/411 भादवि	लिंकरोड	गा0बाद	दीपक
4	359/21	8/21 NDPS ACT	लिंकरोड	गा0बाद	धर्मेन्द्र
5	05/16	398/401 भादवि	लिंकरोड	गा0बाद	धर्मेन्द्र
6	79/13	380/411 भादवि	लिंकरोड	गा0बाद	धर्मेन्द्र

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री अंकित तरार
है0का0 966 मनोज कुमार
का0 2069 भवि कुमार

थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद

(NCR क्षेत्र मे विगत 20 वर्षो से बंद फ्लैटो / घरो मे चोरी करने वाले अन्तराज्जीय गिरोह का पर्दाफाश, 02 शातिर नकबजन सुनार सहित गिरफ्तार, 54000 /- रुपये, घटनाओ मे प्रयुक्त स्कूटी, 02 मोबाईल फोन व लाखो रुपये के सोने चांदी के जेवरात व अवैध अस्लाह बरामद, कई घटनाओ का सफल अनावरण)

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निकट निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम गाजियाबाद महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा बंद पडे फ्लैट / घरो मे चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता व तत्परता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 15.09.2022 को 02 शातिर चोरो (नकबजन) को चैकिंग के दौरान ग्रीन वैली पार्क का गेट नम्बर-1 के पास चौकी क्षेत्र अभयखंड से घटनाओ मे प्रयुक्त स्कूटी नम्बर-DL3SDD-7627 व विभिन्न अभियोगो मे चोरी गये लाखो रुपये के सोने / चांदी के जेवरात व अवैध अस्लाह व चोरी करने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता निम्नवत है:-

गिरफ्तार अभियुक्त (चोर) का नाम व पता:-

1:- नाजिम उर्फ गुड्डू पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौहल्ला तिहाई सौ बाडा थाना मवाना जिला मेरठ हाल निवासी म0न0-385 एच ब्लॉक 3 समसुल रोड खडडा कालोनी थाना कालिदीकुंज जैतपुर पार्ट-2 दिल्ली।

उम्र-34 वर्ष

2:- आबिद पुत्र हफीज निवासी मौहल्ला चौहटा अपर कोर्ट कोतवाली नगर जनपद बुलदशहर हाल निवासी चुंगी नम्बर-2 अनीस का मकान लालकुआ प्रहलादपुर थाना प्रहलादपुर दिल्ली।

उम्र-34 वर्ष

सुनार:-

1:- राजू सोनी पुत्र राम बाबू सोनी निवासी डी-1 / 134 शिवदुर्गा बिहार लक्कडपुर थाना सूरजकुंड जिला फरीदाबाद हरियाणा।

उम्र-48 वर्ष

अभियुक्तगण अपराध करने का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम और आबिद ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह बंद पड़े फ्लैटों की रेकी करके ताला तोड़कर उसमें चोरी कर लेते हैं चोरी के दौरान उनके द्वारा स्कूटी तथा एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है 1 माह पूर्व अभय खंड थर्ड मै बंद पड़े दो फ्लैटों में इनके द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटना की गई थी जिस के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या-997/2022 धारा 380/411 IPC पंजीकृत है और दिनांक 13.9.22 को दिल्ली के गोविंदपुरी कालकाजी क्षेत्र में इनके द्वारा एक बंद पड़े फ्लैट में चोरी की घटना की थी उसी दौरान फ्लैट के मालिक के आ जाने पर उस को बंधक बनाकर फ्लैट में डाल दिया गया था और भागते समय इनका पुलिस टीम से आमना-सामना हो जाने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था और गोविंदपुरी तथा कालकाजी की तंग गलियों में भागने में कामयाब हो गए थे इन दोनों घटना के संबंध में थाना गोविंदपुरी पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं इन दोनों बदमाशों की दिल्ली तथा इंदिरापुरम पुलिस तलाश कर रही थी आज रात्रि में इंदिरापुरम पुलिस द्वारा 00.10 बजे अपने अथक प्रयासों से उपरोक्त दोनों चोरों को 5/6 वैशाली की पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर दिल्ली एवं अभय खंड दोनों घटनाओं के माल को बेचने के लिए फरीदाबाद से बुलाए गए सर्राफ राजू सोनी सहित गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है अभियुक्तगणों ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि नाजिम फ्लैटों का ताला तोड़ता है और मै नीचे खड़े रहकर आबिद द्वारा फोन द्वारा एक दूसरे से बात करते हुए चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते हैं हमे कहीं से जानकारी हुई कि छोटे की-पेड के मोबाइल फोनो की सही जानकारी पुलिस नहीं लगा पाती है। जिससे हम चोरी करने मे मदद मिलती थी और हम लोग आसानी से पकड़े नहीं जाते थे इस फोन को हम केवल घटनाओं के समय ही प्रयोग करते थे और घटना करने के बाद मोबाइल को बंद करके रखते थे हमारे पास जो सब्बल हुकनुका है उससे हम बंद फ्लैट/घरो के ताले/दरवाज तोड़कर आसानी से घरो मे रखे सोने चांदी के जेवरात व नगदी चोरी करके फरार हो जाते है। अभियुक्तगणों द्वारा कारित घटनाओं व अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

- 01:- 54000 /- रुपये नगद
- 02:- 02 मोबाइल फोन
- 02:- 01 स्कूटी नम्बर- DL3SDD-7627
- 04:- 02 तमंचा 315 बोर
- 05:- 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस

अभियुक्तगण से बरामद सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान का विवरण

(कीमत करीब 8 लाख रु0):-

- 01:- 09 अंगूठी पीली धातू
- 02:- 03 चैन पीली धातू
- 03:- 04 जोड़ी पायल सफेद धातू
- 04:- 01 छल्ला सफेद धातू
- 05:- 03 जोड़ी कान की इयरिंग / झूमकी पीली धातू
- 06:- 01 गले का हार पीली / सफेद धातू मय नग
- 07:- 01 चूड़ी का सेट
- 08:- 01 नैकलेस सैट (01 लाकेट व 02 टाप्स) पीली धातू
- 09:- 04 अंगूठी पीली धातू
- 10:- 01 कान की इयरिंग पीली धातू
- 11:- 01 चैन पीली धातू
- 12:- 01 चैन बारीक मय लाकेट पीली धातू
- 13:- 01 नैकलैस सैट (01 लाकेट व 02 टाप्स)
- 14:- 01 घड़ी (ACCURATE CONCERTO SWISS MADE)
- 15:- 01 आईफोन

चोरी करके के बरामद उपकरणों का विवरण:-

- 01:- 02 सब्बल (हुकनुमा)
- 02:- 01 पेचकस

अभियुक्त नाजिम उर्फ गुडडू (चोर) का अपराधिक इतिहास:-

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद / राज्य
01	61 / 2003	392 / 394 / 397 / 120बी / 34 भादवि	सराय रोहिला	दिल्ली

02	227 / 2009	392 / 34 भादवि	गांधीनगर	दिल्ली
03	274 / 2009	392 / 34 भादवि	गांधीनगर	दिल्ली
04	338 / 2009	394 / 397 / 34 भादवि	गोकुलपुरी	दिल्ली
05	190 / 2009	379 / 411 / 34 भादवि	तीमारपुर	दिल्ली
06	140 / 2013	454 / 380 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली
07	139 / 2013	454 / 380 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली
08	134 / 2013	454 / 380 / 34 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली
09	101 / 2013	394 / 34 भादवि	लाजपत नगर	दिल्ली
10	100 / 2013	394 / 34 भादवि	लाजपत नगर	दिल्ली
11	467 / 2004	399 / 402 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	न्यू फ्रैण्डस कालोनी	दिल्ली
12	158 / 2003	392 / 411 भादवि	कोतवाली	मुजफ्फनगर
13	330 / 2009	382 भादवि	नया उस्मानपुर	दिल्ली
14	198 / 2009	399 / 402 / 411 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	कार्म ब्रांच	दिल्ली
15	649 / 2022	392 / 397 / 34 भादवि	गोविन्दपुरी	दिल्ली
16	1199 / 2022	3 / 25 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
17	1201 / 2022	411 / 414 / 482 / 34 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
18	997 / 2022	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

अभियुक्त आबिद (चोर) का अपराधिक इतिहास:-

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद / राज्य
01	948 / 2005	25 / 54 / 59 आर्म्स एक्ट	बदरपुर	दिल्ली
02	333 / 2006	379 / 411 भादवि	करोल बाग	दिल्ली
03	1005 / 2006	411 / 34 भादवि	करोल बाग	दिल्ली
04	100 / 2013	454 / 380 / 411 / 34 भादवि	लाजपत नगर	दिल्ली
05	101 / 2013	394 / 34 भादवि	लाजपत नगर	दिल्ली
06	140 / 2013	454 / 380 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली
07	139 / 2013	454 / 380 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली

08	134 / 2013	454 / 380 / 34 भादवि	अमर कालोनी	दिल्ली
09	263 / 2017	454 / 380 / 34 भादवि	बदरपुर	दिल्ली
10	209 / 2019	454 / 380 / 411 / 34 भादवि	प्रहलादपुर	दिल्ली
11	134 / 2019	454 / 380 / 411 / 34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	प्रहलादपुर	दिल्ली
12	649 / 2022	392 / 397 / 34 भादवि	गोविन्दपुरी	दिल्ली
13	1200 / 2022	3 / 25 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
14	1201 / 2022	411 / 414 / 482 / 34 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
15	997 / 2022	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

अभियुक्त राजू सोनी (सुनार) का अपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद / राज्य
1	146 / 2020	457 / 380 / 411 भादवि	सेक्टर-20 नोएडा	गौतमबुद्धनगर
2	1575 / 2021	382 / 457 / 411 भादवि	विजयनगर	गा0बाद
3	1616 / 2021	382 / 454 / 411 भादवि	विजयनगर	गा0बाद
4	11 / 2022	420 / 465 / 468 / 471 / 482 भादवि	विजयनगर	गा0बाद
5	1200 / 2022	3 / 25 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद
6	1201 / 2022	411 / 414 / 482 / 34 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1:- उ0नि0 मंजू सिंह, चौकी प्रभारी रामप्रस्था, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 2:- उ0नि0 श्री विमल कुमार, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 3:- उ0नि0 श्री विजय ढाका, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 4:- हे0का0 913 सुखवीर सिंह, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 4:- हे0का0 1347 अशोक कुमार, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
- 4:- का0 1374 अमित कुमार, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में शामिल 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, व मुख्य अभियुक्त सौरभ की निशांदाही से आलाकत्ल डंडा व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना मुरादनगर के नेतृत्व में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस, बयान व पूछताछ, भौतिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य संकलित किये गये साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना में शामिल 03 अभियुक्तगण 1.नवरत्न पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर 2. सौरभ पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सुराना 3. गौरव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद को ग्राम सुराना गेट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त सौरभ की निशांदाही से आलाकत्ल एक डंडा तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर न0 DL5SAF 7417 बरामद की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना के बारे में गहनता से पूछताछ कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.08.2022 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव ग्राम सुराना के जंगल में मिला, उक्त सूचना के क्रम में थाना मुरादनगर पर दिनांक 25.08.2022 को रपट न0 50 समय 14.45 बजे तसकरा अंकित किया गया तथा उक्त अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त श्री आदेश त्यागी पुत्र ओमदत्त उर्फ मंगू उम्र करीब 42 वर्ष निवासी चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत के रूप में होने पर दिनांक 07.09.2022 को थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 571/22 धारा 302,201,34 भादवि बनाम 1. सौरभ पुत्र रणधीर 2. नवरत्न यादव पुत्र हुकुम सिंह 3. गौरव पुत्र राजपाल 4. मोनू पुत्र काले सभी निवासीगण ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गा0बाद पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त सौरभ ने बताया कि साहब मेरी, गौरव, नवरत्न व मोनू की दोस्ती गांव चमरावल थाना चांदीनगर के आदेश त्यागी से थी, हम आपस में रुपयो का लेन देन भी करते थे, आदेश त्यागी कम्पोजिट विद्यालय निठारी/ सुठारी मुरादनगर गा0बाद में अध्यापक पद पर नौकरी करता था । दिनांक 13.08.2022 को मैंने व मेरे साथी नवरत्न व गौरव व मोनू ने दावत करने के लिए आदेश त्यागी को अपने घर बुलाया था और वहां पर बरामदे में बैठकर हम पाचों आपस में शराब पीने लगे थे, कुछ नशा होने पर आदेश त्यागी हमको अनाप सनाप बकने लगा तथा गाली भी देने लगा तभी नवरत्न, गौरव मोनू ने उसे पकड़ लिया तथा मैंने पास में रखे बांस का डंडा उठाकर उसके सिर में मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया था, जिसे हम लोग मरा हुआ समझकर मोटर साईकिल नम्बर बजाज डिस्कवर न0 DL5SAF 7417 व मोटर साईकिल हीरो होंडा पैशन न0 UP17 -9289 से ले जाकर गांव सुराना के ही धर्मवीर के खेत में बने कुए में डाल दिया था । आदेश का शव दिनांक 25.08.2022 को पुलिस ने बरामद कर लिया था । साहब जो मैंने आदेश त्यागी के सिर में डंडा मारा था वह डंडा मैंने अपने मकान में बने स्टोर में छिपा कर रख दिया था तथा नवरत्न की मोटर साईकिल को स्टोर के पास ही कमरे में छिपा दी थी जिन्हें मैंने आज बरामद करा दिया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

- 1.नवरत्न पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद
2. सौरभ पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद
3. गौरव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी

1. आलाकत्ल एक लकड़ी का डंडा
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर न0 DL5SAF 7417

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार
2. उ0नि0 अनुज कुमार
3. उ0नि0 दाताराम
4. है0का0 1376 संजय सिंह
5. है0का0 1596 मनीष कुमार
6. है0का0 413 रामनिवास
7. का0 3763 धनेश कुमार

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा कई राज्यों में धोखाधड़ी करके डम्मी मोबाइल देकर व उनके मोबाइल सस्ते दामों में लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को 15 अदद मोबाइल व 5 डमी मोबाइल व 20 मोबाइल कवर व ठगी कर मोबाइल बेचने से प्राप्त 2500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा कई राज्यों में धोखाधड़ी करके डम्मी मोबाइल देकर व उनके मोबाइल सस्ते दामों में लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को 15 मोबाइल व 5 डमी मोबाइल व 20 मोबाइल कवर व 2500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 15-9-22 को रात्रि में 20.30 बजे रोड वाली मस्जिद से करनगेट की ओर 200 मीटर आगे से एक अभियुक्त मोहसीन पुत्र मेहराजुद्दीन नि0 अली नगर पसौन्डा थाना टीला मोड़ गा0बाद उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से धोखाधड़ी करके भोले भाले व्यक्तियों से ठगे गये 15 मोबाइल व 5 डमी मोबाइल व 20 मोबाइल कवर व ठगी कर मोबाइल बेचने से प्राप्त 2500 रुपये बरामद होना । जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित मु0अ0स0 468/22 धारा 420/414/411 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त द्वारा वर्ष 2007 में गुजरात के जनपद सूरत के थाना चौक बाजार से तथा 2011 में मुंबई के थाना खारगढ वर्ष 2014 में आन्ध्र प्रदेश के थाना निर्मल से ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोप में जेल गया है। अभियुक्त द्वारा कई राज्यों में ठगी जैसे अपराध कारित किये गये है।

नामपतागिरफ्तारअभियुक्ता:-

मोहसीन पुत्र मेहराजुद्दीन नि0 अली नगर पसौन्डा थाना टीला मोड़ गा0बाद उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

15 मोबाइल

5 डमी मोबाइल

20 मोबाइल कवर

2500 रुपये

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0अ0सं0 468/22 धारा 420/414/411 भादवि थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
अभि0के अन्य अपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री करतार सिंह थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
2. उ0नि0 प्रबल प्रताप सिंह थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
3. हे0का0 109 जयवीर सिंह थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
4. हे0का0 1578 आशीष प्रताप सिंह थाना टीला मोड़ गाजियाबाद
5. का0 2527 सोमेन्द्र सिंह थाना टीला मोड़ गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 02 नफर वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार

श्री मुनीराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0 बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. असद उर्फ सोनू पुत्र अब्दुल रशीद नि0 30 फुटा रोड अखाड़े वाला अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद उम्र 24 वर्ष व अभियुक्ता श्रीमति शाहजहा पत्नी अब्दुल रशीद नि0 30 फुटा रोड अखाड़े वाला अशोक विहार थाना लोनी गाबाद उम्र करीब 55 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 1087/22 धारा 323/498ए/304बी भादवि व ¾ दहेज अधि0 थाना लोनी को अशोक विहार से दिनांक 16.09.2022 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधित इतिहास-

1. असद उर्फ सोनू (पति मृतका हीना) पुत्र अब्दुल रशीद नि0 30 फुटा रोड अखाड़े वाला अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद उम्र 24 वर्ष
2. श्रीमति शाहजहा (सास मृतक हीना) पत्नी अब्दुल रशीद नि0 30 फुटा रोड अखाड़े वाला अशोक विहार थाना लोनी गाबाद उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक श्री अमित प्रताप सिंह चौकी प्रभारी अशोक विहार थाना लोनी
2. का0 1443 सत्यदेव सिंह थाना लोनी
3. का0 रामू सिंह थाना लोनी
4. म0का0 1081 प्रियंका थाना लोनी
5. म0का0 1028 शशि थाना लोनी

थाना लोनी पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्त मय चोरी का फर्जी नम्बर प्लेट लगा आँटो व 02

अदद चाकू सहित गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी. द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0 बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण 1. सलाउद्दीन उर्फ बबलू पुत्र जहीर निवासी रजा मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. कमल पुत्र इन्द्रपाल निवीस गुर्जर चौक के पास कंचनपार्क लोनी गा0बाद उम्र 25 वर्ष 3. सलीम पुत्र इस्लाम निवासी अबुबकर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद लोनी गा0बाद उम्र 35 वर्ष को चोरी का एक फर्जी नम्बर प्लेट लगा आँटो व 02 अदद चाकू नाजायज सहित बन्थला फ्लाईओवर के नीचे चौकी क्षेत्र कस्बा से दिनांक 16.09.2022 को समय करीब 01.25 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधित इतिहास-

1. सलाउद्दीन उर्फ बबलू पुत्र जहीर निवासी रजा मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
 2. कमल पुत्र इन्द्रपाल निवीस गुर्जर चौक के पास कंचनपार्क लोनी गा0बाद उम्र 25 वर्ष
 3. सलीम पुत्र इस्लाम निवासी अबुबकर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद लोनी गा0बाद उम्र 35 वर्ष
1. मु0अ0सं0 1091/22 धारा 411/414/482 भादवि थाना लोनी बनाम सलाउद्दीन, कमल व सलीम उपरोक्त
 2. एफआईआर न0 033408/20 धारा 379 भादवि थाना एमवी थैप्ट दिल्ली बनाम सलाउद्दीन, कमल व सलीम उपरोक्त
 3. मु0अ0सं0 1092/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बनाम कमल उपरोक्त

4.मु0अ0सं0 1093/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बनाम सलीम उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी का फर्जी न0 प्लेट लगा आँटो न0 DL 14ET 0573 सम्बन्धित एफआईआर न0 033408/20 धारा 379 भादवि थाना ई-एमवी थेट दिल्ली
2. एक अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त कमल से बरामद)
3. एक अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त सलीम से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

6. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी
7. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौकी थाना लोनी
8. है0का0 961 ऋषिपाल सिंह थाना लोनी
9. का0 3047 सुनील कुमार थाना लोनी
- 10.का0 3769 अमित कुमार थाना लोनी